ग्राम पंचायत पनोह, विकास खण्ड सुजानपुर, जिला हमीरपुर के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.14 से 31.03.17

1 **(क) प्रस्तावना :-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत पनोह, विकास खण्ड सुजानपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया I

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान / सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान :-

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्रीमति नीलम कुमारी	01.04.14 से 22.01.16
2	श्री विजय कुमार	23.01.16 से लगातार

सचिव :-

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्री पवन कुमार	01.04.14 से 08.12.16
2	श्री ज्योति प्रकाश	08.12.16 से 31.03.17

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत पनोह, विकास खण्ड सुजानपुर के लेखाओं अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र0सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	पैरा-4.2	रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान न करना	-
2	पैरा-4.3	बैंक में जमा राशि का रोकड़ वही में लेखांकन न करना	1.84
3	पैरा-5	अनुदान का उपयोग न करना	25.89
4	पैरा-6	निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना ही व्यय करना	-
5	पैरा-7	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	-

2 **वर्तमान अंकेक्षण:-**

ग्राम पंचायत पनोह, विकास खण्ड सुजानपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 4/2014 से 03/2017 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री संदीप कमल, अनुभाग अधिकारी व श्री नरेंद्र कुमार, आर्टिक्ल सहायक द्वारा दिनांक 22.05.17 से 25.05.2017 तक ग्राम पंचायत कार्यालय मे किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2014-15	02/2015	10/2014
2015-16	07/2015	01/2016
2016-17	08/2016	10/2016

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है I उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा ।

3 **अंकेक्षण शुल्क :-**

ग्राम पंचायत पनोह, विकास खण्ड सुजानपुर के अवधि 4/2014 से 3/2017 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है । उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि ₹7200/- को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 378 दिनांक 25.05.17 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में पंचायत द्वारा ड्राफ्ट संख्या 820004 (PNB) दिनांक 31.05.17 ₹7200 निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-171009 को प्रेषित कर दिया गया।

4 **वितीय स्थिति :-**

ग्राम पंचायत पनोह, द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(1) **स्व स्त्रौत :-** ग्राम पंचायत पनोह, के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की स्व स्त्रौतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	287693	57732	345425	26435	318990
2015-16	318990	92934	411924	22983	388941
2016-17	388941	221225	610166	39227	570939

(2) **अनुदान :-** ग्राम पंचायत पनोह, के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1** में भी दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	659868	2825579	3485447	2507621	977826
2015-16	977826	2245178	3223004	1883011	1339993
2016-17	1339993	5053798	6393791	3805253	2588538

4.1 बैंक समाधान विवरणी :-

स्व स्त्रौत :-

दिनांक 31.03.17 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष : ₹570939

अनुदान :-

दिनांक 31.03.17 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष : ₹2588538

कुल अंतिम शेष ₹3159477

दिनांक 31.03.17 को बैंक खातों में शेष : ₹3159471.23

अन्तर की राशि : ₹5.77

बैंक खाता संख्या	**राशि**
GEN. (B) PNB-11460	588534.49
GEN. (A) PNB-11716	576080.49
IAY, PNB-22688	42.09
RGAY, PNB-22679	76
SBM, PNB-41452	202667.32
14th FC, PNB-46174	1657261.75
13th FC, PNB-11707	134809.09
MNREGA, PNB-06617	0
कुल राशि	**3159471.23**

4.2 रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान न करना :-

ग्राम पंचायत पनोह की रोकड़ वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ वही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ वहियों का बैंक खाते से मिलान न

करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ वहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

4.3 बैंक में जमा राशि ₹1.84 लाख का रोकड़ वही में लेखांकन न करना:-

जांच में पाया कि पंचायत में स्व जल धारा के नाम से बैंक खाता संख्या KCCB-20149003560 (पनोह) खोला गया था जिसमें दिनांक 31.03.17 को ₹184380 जमा थे एवं इस राशि का लेखांकन रोकड़ वही में नहीं किया गया था एवं अंकेक्षण अवधि में इस खाते से कोई लेन-देन भी नहीं किया गया था। अंकेक्षण के दौरान पंचायत सचिव द्वारा इस खाते के रख-रखाव के उदेश्य से अंकेक्षण को अवगत नहीं करवाया जिससे इस खाते में जमा राशि के दुरुपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः इस खाते को खोलने के उदेश्य से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ एवं इसका रख-रखाव रोकड़ वही में करना सुनिश्चित करें ताकि इसमे जमा राशि का दुरुपयोग न हो सके।

5 अनुदान ₹25.89 लाख का उपयोग न करना :-

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट-1)** के अनुसार दिनांक 31.03.17 तक अनुदान ₹2588538 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ- साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये।

6 निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना ही व्यय करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000 व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता था। निर्माण कार्यों से संबन्धित व्यय वाउचरों की जांच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्नविवरणानुसार निर्माण कार्यों पर व्यय प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना ही किया गया, जो कि नियमों के अनुकूल न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। अतः निर्माण कार्यों पर किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा किए गए व्यय की वसूली उचित स्त्रौत से करने के उपरान्त अपेक्षित राशि पंचायत निधि में जमा करवाई जाये।

क्र०सं	अवधि	कार्य का नाम
		General Cash Book

1	2014-15	नि. शमशान घाट पनहोली, जमीरी खड्ड पनोह
2	2016-17	नि. कमरा पंचायत घर के साथ
3	-do-	नि. पक्का रास्ता लच्छो राम के घर से कुआं ज्याड़

7 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/ स्टोर का क्रय करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) , 67 (5) एवं 69 द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें (निविदायें इत्यादि आमंत्रित करना) प्रावधित है। जांच में पाया कि वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में पंचायत में सामग्री का क्रय निविदायें आमंत्रित किए बिना ही किया गया था। चयनित माहों के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि निम्नविवरणानुसार पंचायत द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र०सं	वाउचर संख्या	बिल का विवरण	सामग्री का विवरण	राशि	कार्य का नाम
	General Cash Book				
1	74 दिनांक 13.01.15	Bill No. 02 Dated 11.12.14, M/s Sanjeev Kumar	निर्माण सामग्री	15000.00	नि. लिंक रोड मेन रोड से भटाणी
2	83 दिनांक 11.02.15	Bill No. 1992 Dated 03.01.15, M/s Thakur hardware	स्टील	24214.00	नि. शमशान घाट पनहोली, जमीरी खड्ड पनोह
3	97 दिनांक 26.03.15	Bill No. 24 Dated 15.03.15, M/s Sanjeev Kumar	निर्माण सामग्री	16500.00	नि. पक्का रास्ता गाँव ज्याड से शमशान घाट तक
4	21 दिनांक 15.07.15	Bill No. 29 Dated 25.03.15, M/s Sanjeev Kumar	निर्माण सामग्री	5000.00	-do-
5	26 दिनांक 04.08.15	Bill No. 454 Dated 27.07.15, M/s Roop trading company	स्टील	38876.00	नि. शमशान घाट, गाँव भटेरा
6	47 दिनांक	Bill No. 33 Dated	निर्माण	24000.00	-do-

	10.11.15	04.09.15, M/s Sanjeev Kumar	सामग्री		
7	49 दिनांक 10.11.15	Bill No. 34 Dated 09.11.15, M/s Sanjeev Kumar	निर्माण सामग्री	16500.00	-do-
8	56 दिनांक 01.12.15	Bill No. 1571 Dated 18.11.15, M/s Thakur hardware	स्टील	27861.00	-do-
9	88 दिनांक 31.03.16	Bill No. 1655 Dated 01.12.15, M/s Thakur hardware	स्टील	18205.00	-do-
10	101 दिनांक 21.10.16	Bill No. 1479 Dated 09.09.16, M/s Thakur hardware	स्टील	29340.00	नि. कमरा पंचायत घर के साथ
11	102 दिनांक 21.10.16	Bill No. 1481 Dated 03.10.16, M/s Thakur hardware	स्टील	17246.00	-do-
12	103 दिनांक 21.10.16	Bill No. 402 Dated 03.10.16, M/s Thakur hardware	ईंटें	14950.00	-do-
13	104 दिनांक 21.10.16	Bill No. - Dated -, M/s Suhdu Ram	सेट्रिंग	10600.00	-do-
14	105 दिनांक 21.10.16	Bill No. - Dated -, M/s Pawan Kumar	सामग्री की ढुलवाई	7100.00	-do-
15	109 दिनांक 21.10.16	Bill No. - Dated -, M/s Pawan Kumar	सामग्री की ढुलवाई	12000.00	नि. पक्का रास्ता लच्छो राम के घर से कुआं ज्याड़
	SBM				
16	59 दिनांक 13.10.16	Bill No. 1484 Dated 08.09.16, M/s Thakur hardware	स्टील	8303.00	-

	13th FC				
17	14 दिनांक 11.08.16	Bill No. 4 Dated 10.06.16, M/s RK Traders	Aluminium Door etc	22510.00	नि. अपवर्धन व रख-रखाव पंचायत घर पनोह

8 विहित रजिस्टरों का रख रखाब न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों /अभिलेखों का रख रखाब किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाब नहीं किया गया था, जो कि अनियमित व आपतिजनक है । अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाब किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

1. अनुदान रजिस्टर
2. गृहकर रजिस्टर का उचित रख-रखाव न करना ।
3. यात्रा भत्ता बिल का जांच पड़ताल रजिस्टर ।
4. रसीदों का भण्डार रजिस्टर में रख-रखाव न करना ।

9 प्रत्यक्ष सत्यापन :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

10 **लघु आपति विवरणिका :-** इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी -2 आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया I

11 **निष्कर्ष :-**लेखों में सुधार की आवश्यकता है ।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
फोन नं0 0177–2620046

पृष्ठांकन संख्याः–फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(6)17/2017–खण्ड–1–5365–5368 दिनाँक,1.09.17 शिमला–09,

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1 सचिव, ग्राम पंचायत पनोह, विकास खण्ड सुजानपुर, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, हमीरपुर, जिला हमीरपुर हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड सुजानपुर, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर हि0प्र0

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
फोन नं0 0177–2620046